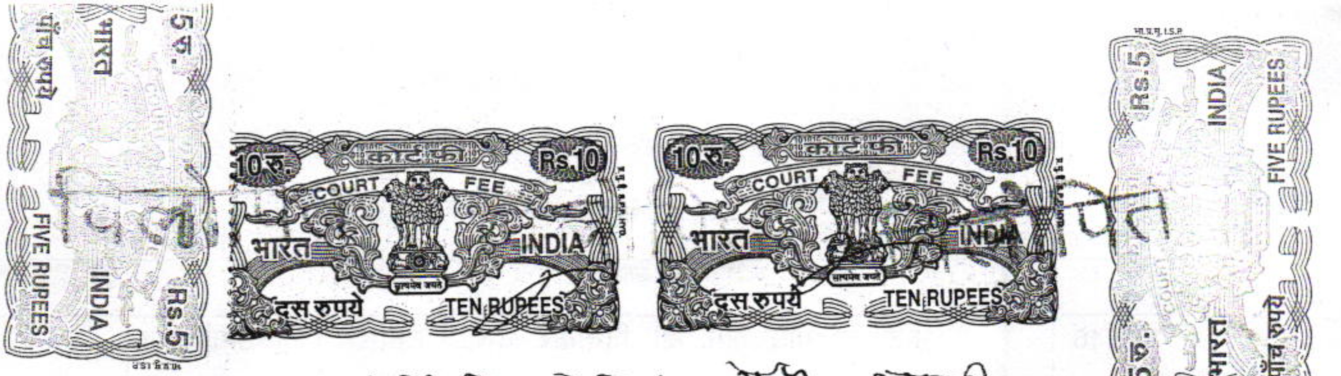

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान ~~आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद~~ (म.प्र.)

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक:- /2015 ग्राम खुदिया तह. सिराली जि. हरदा.

प्रस्तुत दिनांक:- 10 /10/2015 R. 3283/PBR/2015

श्रीमती गायत्रीबाई पति रामनारायण राजपूत,
निवासी ग्राम खुदिया तहसील सिराली जिला-हरदा म.प्र.... पुनरीक्षणकर्ता.

द्वारा आज दि. 8-10-15 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

//विरूद्ध//

शिवनारायण पिता रामेश्वर राजपूत, निवासी
ग्राम खुदिया तहसील सिराली जिला हरदा म0 प्र0.. ... विपक्षी.

राजस्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता.

. . . .

पुनरीक्षणकर्ता, न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, सिराली द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 02/अ-13/2009 ग्राम खुदिया तहसील सिराली जिला हरदा शिवनारायण विरूद्ध गायत्रीबाई में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.9.2015 जिसके द्वारा सरासर अनुचित और अवैधानिक आदेश, बिना किसी आधार के पारित किया है,से असंतुष्ट,दुखी और परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण माननीय न्यायालय में निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3283–पीबीआर/2015 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.6.16	आवेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री फहीम खान उपस्थित । यह निगरानी तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 28–9–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 30–3–2016 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, अतः यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	